

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 52/2023



1. गोपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह कौम राजपूत निवासी ग्राम काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर

-वादी

- बनाम
1. कानसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 2. चांदकंवर पुत्री औकारसिंह कौम राजपूत
 3. भगवानसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 4. भंवरसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 5. भवानसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 6. औमकंवर पत्नि कानसिंह कौम राजपूत सर्वनिवासीगण ग्राम काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर
 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राज ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 01.08.2025

उपस्थित:- 1-विजेन्द्रसिंह (वकील वादीगण)


संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिंह द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जांच बाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

वाद में वाद पत्र के में ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा भू0अ0नि0 लाम्बा तहसील अराई के खसरा नं0 628/420, रकबा 2.5888 हे0, खसरा नं0 420 रकबा 1.2944 है0, खसरा नं0 163 रकबा 9.4977 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी **by meets and bounds** के आधार पर विधिक विभाजन का निवेदन किया गया दिनांक 21.6.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध कपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

दिनांक 19.5.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 21.1.2025 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिती में बटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील वादी द्वारा दिनांक 1.8.2025 द्वारा एकपक्षीय बहस की गई तथा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा में वर्णित ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा भू0अ0नि0 लाम्बा तहसील अराई के खसरा नं0 628/420, रकबा 2.5888 हे0, खसरा नं0 420 रकबा 1.2944 है0, खसरा नं0 163 रकबा 9.4977 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित तहसीलदार अराई की बटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Orders) के बंटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। वहसीलदार अराई को तहरीर जारी हो। बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री हेतु विभाजन प्रस्ताव: 

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	गोपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन एसबीआई ढसूक	163 / 2 420 / 1 628 / 420 / 1	4.1016 0.6472 1.2944	बंजर 2 बारानी 3 चाही 1 0.3559 बारानी ए 7686 बजरं 2 0.1699 है0	किस्मा नुसार	पीला
2.	ओमकंवर पत्नि कानसिंह हिस्सा 80 / 667 कानसिंह भगवानसिंह पुत्रगण उंकार सिंह हिस्सा 1174 / 2001 ब0हि0ब0 राहिन बीओबी शाखा अराई भवानसिंह पुत्र उंकारसिंह हिस्सा 587 / 2001 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	163 / 1	5.3961	बंजर 2 0.0729 बारानी ए 5.3232 है0	किस्मा नुसार	हरा
3.	कानसिंह, भगवानसिंह पुगण उंकारसिंह हिस्सा पूर्ण ब0हि0ब0जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन बीओबी शाखा अराई	420 / 2	0.6472	बारानी 3	किस्मा नुसार	नीला
4.	कानसिंह भगवानसिंह पुत्रगण उंकारसिंह हिस्सा 2 / 3 ब0हि0ब0 राहिन बीओबी शाखा अराई भवानसिंह पुत्र उंकारसिंह हिस्सा 1 / 3 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	628 / 420 / 2	1.2944	चा.डोल 0.1293 चाही 10.2266 बारानी 3 0.4450 बंजर 2 0.4935	किस्मा नुसार	नारंगी

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

W
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 52/2023

1. गोपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह कौम राजपूत निवासी ग्राम काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर

-वादी

- बनाम
1. कानसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 2. चांदकंवर पुत्री औकारसिंह कौम राजपूत
 3. भगवानसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 4. भंवरसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 5. भवानसिंह पुत्र औकारसिंह कौम राजपूत
 6. औमकंवर पत्नि कानसिंह कौम राजपूत सर्वनिवासीगण ग्राम काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर
 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राज 0 ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 01.08.2025

उपस्थित:- 1-विजेन्द्रसिंह (वकील वादीगण)

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील विजेन्द्रसिंह द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जांच बाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।


वाद में वाद पत्र के में वर्णित ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा भू0अ0नि0 लाम्बा तहसील अराई के खसरा नं0 628/420, रकबा 2.5888 हे0, खसरा नं0 420 रकबा 1.2944 है0, खसरा नं0 163 रकबा 9.4977 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी **by meet**

bounds के आधार पर विधिक विभाजन का निवेदन किया गया। दिनांक 21.6.2024 को प्रा संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध कपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

दिनांक 19.5.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 21.1.2025 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिति में बटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील वादी द्वारा दिनांक 1.8.2025 द्वारा एकपक्षीय बहस की गई तथा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा में वर्णित ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा भू0अ0नि0 लाम्बा तहसील अराई के खसरा नं0 628/420, रकबा 2.5888 हे0, खसरा नं0 420 रकबा 1.2944 है0, खसरा नं0 163 रकबा 9.4977 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित तहसीलदार अराई की बटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (**By Mets And Bounds**)के बटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)



अराई को तहरीर जारी हो। तहसीलदार अराई से प्राप्त कमीशनर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है उक्त बंटवारे में कमीशनर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि को निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है-

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	गोपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन एसबीआई ढसूक	163 / 2 420 / 1 628 / 420 / 1	4.1016 0.6472 1.2944	बंजर 2 बारानी 3 चाही 1 0.3559 बारानी ए 7686 बजर 2 0.1699 है0	किस्मा नुसार	पीला
2.	ओमकंवर पत्नि कानसिंह हिस्सा 80 / 667 कानसिंह भगवानसिंह पुत्रगण उंकार सिंह हिस्सा 1174 / 2001 ब0हि0ब0 राहिन बीओबी शाखा अराई भवानसिंह पुत्र उंकारसिंह हिस्सा 587 / 2001 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	163 / 1	5.3961	बंजर 2 0.0729 बारानी ए 5.3232 है0	किस्मा नुसार	हरा
3.	कानसिंह, भगवानसिंह पुगण उंकारसिंह हिस्सा पूर्ण ब0हि0ब0जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन बीओबी शाखा अराई	420 / 2	0.6472	बारानी 3	किस्मा नुसार	नीला
4.	कानसिंह भगवानसिंह पुत्रगण उंकारसिंह हिस्सा 2 / 3 ब0हि0ब0 राहिन बीओबी शाखा अराई भवानसिंह पुत्र उंकारसिंह हिस्सा 1 / 3 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	628 / 420 / 2	1.2944	चा.डोल 0.1293 चाही 10.2266 बारानी 3 0.4450 बंजर 2 0.4935	किस्मा नुसार	नारंगी

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाव हस्ताक्षरित किया गया।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)